ekr`Ro LokLF; gdnkjh vfHk;ku e-iz-

LokLF; lokvk ij tu&lokn dk;dze

स्थानः— सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर बैतूल म.प्र.

मातृत्व स्वास्थ्य हकदारी अभियान के तहत दुसरे चरण सामुदायिक निगरानी की जानकारी के आधार पर दिनांक 3.12.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर में जन संवाद कार्यक्रम अभियान के साथी साथिया वेलफेयर सोसायटी, बैतूल द्वारा आयोजित किया गया। जिसमें स्थानिय संस्थाओं के प्रतिनिधि व 5 गावों से समुदाय के सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। संवाद के दौरान समुदाय द्वारा स्वास्थ्य समस्याओं की बातों को निदान करने के लिए जवाबदेह अधिकारी के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बी.पी.एम. बलदेव नागले जी उपस्थित थे। साथ ही साथिया वेलॅफेयर सोसायटी स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे।

इस जन संवाद का मुख्य उद्देश्य था कि मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सेवाओं को विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखते हुए चर्चा करना, साथ ही विभागीय अधिकारियों से बेहत्तर व गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करना।

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में की गई निगरानी पर चर्चा के साथ—साथ प्रसव के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र मे हुई मुश्किलों पर आधारित केस स्टडी पर चर्चा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केंन्द्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर की गई सामुदायिक निगरानी रिपोर्ट पर चर्चा की गई, साथ ही समुदाय से आये साथियों ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी बात रखी।

xke LokLF; ik"k.k fnol dh fuxjkuh l fud h egRoi!.k "kr #&

lok dh et"r i$k &

1. स्वास्थ्य कार्यकर्ता समय पर पहुंचते है। (ए.एन.एम. आषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का काफी एक्टिव रोल रहता है।)
2. स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा सभी गर्भवती व बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करती है।
3. स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा हीमोग्लोबिन और पेषाब की जांच की जाती है।
4. बच्चों का नियमित वजन किया जाता है।
5. गर्भवती और बच्चों को नियमित रूप से पोषण आहार का वितरण किया जाता है।
6. स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन की गाली वितरण की जाती है।

lokvk dk detkj i$k #&

1. टीकाकरण और आयरन की दवाई देने के बाद फालोअप नही है।
2. कई आरोग्य केन्द्रों में जांच टेबल व पर्दे नही है जिससे गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व सम्पूर्ण जांच नही होती है।
3. स्वास्थ्य शिक्षा महिलाओं को नही दी जा रही है।
4. किषोरीयां स्वास्थ्य चर्चा से छूट रही है।
5. 1 आंगनवाड़ी केन्द्र पर करीब 2 माह से वजन मषीन खराब है।
6. एम.पी.डब्ल्यु व जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नही होती है।
7. पेट की जांच नही हो रही हैं।
8. प्राथमिक उपचार नही है।
9. स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक पर चर्चाए प्राथमिकता में नही है।

सामुदायिक निगरानी के अध्ययन व ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस की निगरानी के दौरान समुदाय व आषा कार्यकर्ता से भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की गई जिसमें आषा अपनी पूरी

ईमानदारी, लगन व मेहनत से स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास करती है साथ प्रसव के दौरान आषा पूरे समय प्रसूता के साथ रहती है।

इसके साथ हि हाल ही में प्रसव हुऐ माताओं के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चर्चा करते हुए साक्षात्कार किया गया जिसमें 4 केस स्टडीयां प्रस्तुत की गई। जिसमें बताया गया कि प्रसव के दौरान महिला को स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के लिए मुष्किलों का सामना करना पड़ा, अत्यधिक पैसे खर्च करने पड़े और स्वास्थ्य अधिकारीयों का असवेदनषील रवैया का सामना करना पड़ा।

साथ हि अन्त में बैतूल जिले के षाहपुर ब्लांक में मातृत्व स्वास्थ्य हकदारी अभियान के तहत 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र और इसके अर्न्तगत आने वाले 8 गांव में की गई सामुदायिक निगरानी की रिर्पोट को विभागीय अधिकारी व समुदाय के समझ प्रस्तुत किया।

स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा को आगे बढ़ातें हुए बायफ संस्था की प्रतिनिधि कृष्णा साहू ने बताया कि– *समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तो है लेकिन गुणवत्ता की कमी है काटावाड़ी पंचायत में ए.एन.एम. 20 किलोमीटर दूर ग्राम भौरा से आकर सेवा देती है, उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बना हुआ है लेकिन अभी तक सेवाऐ नही दी जा रही है।*

आषा संस्था से आये सामाजिक कार्यकर्ता ष्यामराव डोगरें ने बताया कि– *स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पूरे मध्यप्रदेष में ठीक नही है उन्होने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं का ठीक से फालोअप ना होने के कारण सेवाओं में सुधार नही हो पा रहा है साथ हि समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता की भी कमी है।*

बरेठा ग्राम से आई महिलाओं ने बताया कि– *जब हम ए.एन.एम. व सुपरवाईजर को हमारी ग्राम सभा में बुलाते है लेकिन वह ग्राम सभा में नही आते है।*

रामपुर माल ग्राम से आई महिलाओं ने बताया कि– *प्रसव के दौरान जननी एक्सप्रेस का ड्राईवर हमसे पैसा लेता है पिछले दिनों 5 प्रसव हुए, प्रसव के दौरान वापस पहुंचाने के लिए सभी से 100–100 रूपये लिये गये।*

साथिया वेलफेयर सोसायटी से स्मृति जी ने बताया कि– *स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जागरूक होना चाहिये और मातृत्व एव षिषु स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं को निषुल्क*

पाने का हमारा अधिकार है। यदि हम सेवाओं का उपयोग नही करेगे तो जो स्वास्थ्य सेवाऐ मिल रही है वह नीजी हाथों में चली जायेगी।

मातृत्व स्वास्थ्य हकदारी अभियान के राज्य संमंन्वयक अजय जी ने बताया कि– *मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए समुदाय को आगे आना होगा, साथ हि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समुदाय को जागरूक होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य सेवाऐं प्राप्त कर सके। साथ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में समुदाय से चर्चा की गई।*

स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करने के पष्चात् स्वास्थ्य अधिकारी बी.पी.एम. बलदेव नागले जी ने बताया कि– *ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस मे जहां सेवाऐ ठीक से नही दी जा रही है वहां जल्द पहुंचाने का प्रयास करेगें साथ हि बताया की प्रसव के दौरान कोई भी गाड़ी वाला पैसा लेता है तो समुदाय के लोग सीधे मुझसे षिकायत कर सकते है*।

अन्त में समुदाय के साथियों द्वारा बी.पी.एम. नागले जी को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहत्तर बनाने के लिए मांग पत्र दिया गया साथ हि जीतेंन्द्र प्रजापति ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का आभार व्यक्त किया।

–: मांग पत्र :–

1. मातृत्व स्वास्थ्य हकदारी अभियान, भिण्ड मांग करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था और समुदाय स्तर पर निम्नांकित कार्य सुधारात्मक कि जाना चाहिए –
2. स्वास्थ्य व्यवस्था के स्तर पर की जाने वाली पहल
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के आधार पर सभी स्तरों के स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक शक्ति को सुनिष्चित करना चाहिए जिससे हितग्राही को प्रसव के दौरान सेवाएं मिल सकें।
4. संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए जिलें में वाहन की उपलब्धता को सुनिष्चित करना चाहिए जिससे सभी हितग्राही महिलाओं को निःषुल्क वाहन सुविधा मिल सके।
5. हितग्राती को शासकीय अस्पतालों में इलाई के दौरान अतिरिक्त खर्च पर रोक लगाने के लिए अस्पताल प्रबन्धक को भर्ती मरीज से सुझाव पत्र के माध्यम से सुविधा एवं सेवा पर सुझाव लेना चाहिए।
6. मरीज को मिलने वाली सभी प्रकार की सेवाएं निःषुल्क मिले यह सुनिष्चित करना चाहिए।

7. योजनाओं का क्रियांवयन शासकीय दिषानिर्देषों के अनुरूप होना चाहिए जिससे हितग्राहियों को सही लाभ मिल सकें।
8. सभी गर्भवती महिलाओं को निःषुल्क सेवा प्रदान मिलें यह सुनिष्चित करना चाहिए।
9. स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी स्तरों से दी जाने वाली सेवाएं भेदभाव रहित है यह सुनिष्चित करना चाहिए।

lenk; Lrj ij dh tkus ok h ig #&

1. आरोग्य केन्द्र से मिलने वाली सेवाएं को सुदृढ़ करना चाहिए जिससे गर्भवती महिलाओं का पूर्णतः प्रसव पूर्व जांच सुनिष्चित होना चाहिए।
2. शासकीय दिषानिर्देषों के आधार पर आरोग्य केन्द्र में उपलब्ध सामग्री, दवाईयां आदि को सुनिष्चित करना चाहिए।
3. आरोग्य केन्द्र में गर्भवती महिलाओं का सूची चस्पा होनी चाहिए। साथ ही उन गर्भवती महिलाओं का नाम चस्पा होना चाहिए जिसका प्रसव जटिल होने की सम्भावना है।
4. जननी एक्सप्रैस व 108 को कॉल कर बुलाने का अधिकार आषा कार्यकर्ता के अधीन न होकर ग्रामीणों को यह स्वतंत्रता मिलना चाहिए जिससे आपातकालीन स्थिति को प्रबन्ध किया जा सकें।
5. कॉल सेन्टर का नम्बर आरोग्य केन्द्र में लिखा होने के साथ–साथ गांव के विभिन्न स्थानों में होने चाहिए जिससे जिन महिलाओं का पहुॅच आरोग्य केन्द्र तक नही है या दूर दराज में रहने वाला समुदाय भी इसका लाभ उठा सकें।
6. सेवाओं में हनन व वंचित होने पर समुदाय द्वारा षिकायात करने के लिए षिकायत निवारण केन्द्र होना चाहिए जिससे समस्या का निवारण हो सके। यह केन्द्र स्वास्थ्य केन्द्र के सभी स्तरों में होना चाहिए।
7. जननी एक्सप्रैस व 108 की वाहन डाइवर द्वारा पैसे की मांग को बन्द करवाना चाहिए।
10. जननी एक्सप्रेस व 108 की प्राविधान पर इन दोनों वाहनों के डाइवरों का प्रषिक्षण होना चाहिए जिससे डाइवरों को योजना के संबंध में जानकारी हो और हितग्राही को अनावष्यक पैसे व अन्य किसी संबंध में परेषान न करें।
11. समुदाय की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्याओं का निवारण के लिए स्वास्थ्य केन्द्र के सभी स्तरों में संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए और समस्याओं के निवारण के लिए उचित अधिकारी का होना सुनिष्चित करना चाहिए।